भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: †*11
उत्तर देने की तारीख: 18.07.2022

दिल्ली विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों को धनराशि जारी किए जाने में विलंब

†*11 श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली सरकार द्वारा धनराशि जारी किए जाने में होने वाले विलंब के कारण दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ महाविद्यालयों में उत्पन्न हुई वित्तीय संकट की स्थिति का संज्ञान लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों को लंबित धनराशि जारी किया जाना सुनिश्चित करने हेतु दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) दिल्ली में महाविद्यालयों की वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
शिक्षा मंत्री
(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क) से (ग): विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

****

दिल्ली विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों को धनराशि जारी किए जाने में विलंब के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा द्वारा दिनांक 18.07.2022 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 11 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सूचित किया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में 91 संघटक/संबद्ध कॉलेज हैं, जिनमें से यूजीसी केवल 53 दिल्ली कॉलेजों को राजस्व अनुदान प्रदान करता है। 12 दिल्ली कॉलेज पूरी तरह से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं और शेष 26 कॉलेज अन्य स्रोतों से निधि प्राप्त करते हैं।

यूजीसी ने वित्त वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 (जून, 2022 तक) के दौरान यूजीसी द्वारा वित्त पोषित 53 दिल्ली कॉलेजों को क्रमशः ₹ 2134.54 करोड़, ₹ 2446.83 करोड़ और ₹ 590.51 करोड़ की राशि का अनुदान जारी किया है।

सहायता अनुदान जारी न होने के कारण स्टाफ सदस्यों और पेंशनभोगियों को होने वाली कठिनाइयों के संबंध में मंत्रालय में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा पूर्णतया वित्त पोषित, सभी बारह डीयू कॉलेजों के प्राचार्यों से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। इस अभ्यावेदन को मामले पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए उच्चतर शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को अग्रेषित किया गया था। यूजीसी ने आगे सूचित किया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने यह भी सूचित किया है कि उन्हें एनसीटी दिल्ली सरकार द्वारा निधि जारी करने में देरी के संबंध में 12 कॉलेजों के कर्मचारियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय ने उच्चतर शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को वेतन और अन्य खर्चों के लिए कॉलेजों को समय पर अनुदान जारी करने के लिए पत्र लिखा है।

दिल्ली विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार उनके द्वारा पूर्णरूप से वित्तपोषित 12 कॉलेजों को भी अनुदान जारी कर रही है, यद्यपि इसमें विलंब हुआ है।

(ग): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (महाविद्यालयों को स्वायत्तता का दर्जा प्रदान करना तथा स्वायत्त महाविद्यालयों में मानकों के रखरखाव संबंधी उपाय) विनियम, 2018 को इस मार्गदर्शक सिद्धांत पर 12 फरवरी, 2018 को अधिसूचित किया गया है कि महाविद्यालय स्वायत्तता व्यापक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। इन विनियमों के प्रावधानों के तहत स्वायत्त महाविद्यालय अपने स्तर पर पाठ्यक्रमों की फीस तय कर सकते हैं और प्रत्येक वर्ष मूल विश्वविद्यालय को संबद्धता शुल्क का भुगतान करने से भी छूट दी गई है।

*****